

RECEIVED BY THE DIRECTOR

21

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

महाराष्ट्र राज्य के तीर्थस्थलों के माध्यम से विचार प्रसारण तथा सामाजिक एवं धार्मिक विकास हो :—

1732. 1/2

- एकविंशत्यं नाम,
विंशत्यं नाम,
एकविंशत्यं नाम.

(५) यह ऐसी तारीख को प्रयुक्त होगा जिसमें राज्य सरकार, प्रतिष्ठानों द्वारा, निम्नलिखित कार्य कर सकें—

जन्म र-शाला मध्य रमजदर.

५. इस नाम से, यह कि कर्मों से साधना अवलंबित न हो, --

सं. ४४४४४४४४

- (क) "संहिता" से अभिप्रेत है व्यवस्थित सैध्द रहेगा कि. १९५० (काताक २० का संहिता);
 (ख) "जाता भवन उपकर" से अभिप्रेत है जाता न के बलोन उद्गुणित जाता भवन उपकर;
 (ग) "भू-धारण" से अभिप्रेत है कोई भू-धारण, मीलों उपर वा भवनकारी संहिता;
 (घ) "जाता" से अभिप्रेत है वह संहिता भूमिपति के कोई भवन उपर (क) में विनिर्दिष्ट विधियों में से किसी एक विधित्त में या एक से अधिक विधियों में राज्य के भीतर कारण किसे हुए है;
 (ङ) "भूमिपति जाति का संहिता" से अभिप्रेत है किसी जाति, भूमिपति या जनजाति संहिता किसी जाति भूमिपति या जनजाति के भाग या किसी जाति, भूमिपति या जनजाति के भीतर के समूह का, जिसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद २५ के अन्तर्गत भवनपति राज्य के संवैध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, संहिता;
 (च) "भूमिपति जनजाति का संहिता" से अभिप्रेत है किसी जनजाति, जनजाति समुदाय संहिता किसी जाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जाति या जनजाति समुदाय के भीतर के समूह का, जिसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद २५ के अन्तर्गत भवनपति राज्य के संवैध में उक्त रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, संहिता;
 (छ) उन "राज्यों तथा समिक्यकितमों" को जो इस भाग में प्रयोग हुई है और इसमें परिभाषित नहीं की गई है किन्तु जो संहिता में परिभाषित की गई है वे ही भविष्य में जो संहिता में उनके स्थिति दिए गये हैं.

३. (१) यह हेक्टर को और उससे ऊपर के प्रत्येक फुटो खाते पर, जो किसी प्रकार द्वारा धास्ति हो, प्रत्येक शाखा व्यवस्थापक का जन्म वर्ष के लिये गाला भवना संपन्न प्रति हेक्टर तीन रुपये, पचाहत्तर पैसे की दर से उपभूषित तथा संगृहीत किया जायेगा।

परन्तु इस उपभार का उपबन्ध, किसी ऐसे आने के संबंध में, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा चारित हो, इस प्रकार प्रभावी होगा मानो शब्द "यह हैकर" को स्थान पर शब्द "एत हैकर" स्थापित किये गये हैं।

संविधान राजपत्र, दिनांक 8 मई 1982

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत तथा संगृहीत शाखा भवन उपकरण उस भू-राजस्व या लगान या किसी अन्य उपकरण या कर के प्रतिरिक्त होगा जो भूमि के धारक द्वारा उस खाते के संबंध में संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिती के अधीन देय हो और भूमि के धारक द्वारा भू-राजस्व के साथ उसी रीति में देय होगा जिस रीति में कि भू-राजस्व देय होता है।

(3) संहिता के ये उपखण्ड, जो भू-राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली से संबंधित हैं, जहाँ तक हो सके, इस भाग के अधीन के शाखा भवन उपकरण के निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उपकरण उस खाते पर संहिता के अधीन निर्धारित भू-राजस्व हो।

4. (1) धारा 2 के अन्तर्गत के शाखा भवन उपकरण के आशय प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किये जायेंगे और राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिया जाने के पश्चात्, राज्य की संचित निधि में से उतनी रकम प्रत्याहृत कर सकेंगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहे गए शाखा भवन उपकरण के आशयों के समतुल्य हो, और उसे प्राथमिक शाखा भवन निर्माण निधि नामक एक पूषक निधि में जमा करेगी, और उक्त निधि में जमा ऐसी रकम मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगी।

(2) राज्य सरकार प्रतिवर्ष निधि में अपना प्रभिदाय करेगी जो उपधारा (1) के अधीन निधि में जमा की गई रकम के पचास प्रतिशत के बराबर होगा।

(3) निधि में जमा रकम का उपयोग, संहिता की धारा 2 के खण्ड (घ-4) में व्यापारिभाषित मारेतर क्षेत्रों में प्राथमिक शाखा भवन का निर्माण करने तथा उसे सुसज्जित करने के लिए किया जाएगा और उस प्रयोजन के लिए किसी जिले को निधि में जमा रकम में से केवल उतनी रकम, जितनी कि उस जिले से शाखा भवन उपकरण के रूप में वसूल हुई हो, उस जिले के लिए राज्य सरकार के प्रभिदाय के पचास प्रतिशत सहित, आवंटित की जाएगी।

5. प्राथमिक शाखा भवन निर्माण निधि का संचारण और परिचालन, जिसके अन्तर्गत उसमें जमा राशियों का विनिधान या पुनर्विनिधान आता है, इस भाग के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

भाग 3—वन विकास उपकरण

6. इस भाग में,—

- (क) "वन विकास उपकरण" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन वन विभाग द्वारा वन-उपज के विकास का प्रदाय पर उद्गृहीत उपकरण;
- (ख) "वन विभाग" के अन्तर्गत आता है कंपनी अधिनियम, 1947 (1947 का सं. 9) के अधीन गठित वन विकास निगम;
- (ग) अभिव्यक्ति "वन-उपज" का वही अर्थ होगा जो कि उस अभिव्यक्ति के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 96) की धारा 2 के खण्ड (4) में दिया गया है।

7. (1) वन विभाग द्वारा वन-उपज के प्रत्येक विश्व या प्रदाय पर वन विकास उपकरण, उस कीमत के, विहित पर कि ऐसी वन-उपज बेची जाती है या उसका प्रदाय किया जाता है, एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत वन विकास उपकरण किसी ऐसे कर के प्रतिरिक्त होगा जो वन-उपज का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्गृहीत है।

(3) वन विभाग द्वारा बेची गई या प्रदाय की गई वन-उपज के संबंध में उपधारा (1) के अधीन देय वन विकास उपकरण उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसको वन-उपज बेची जाती है या जिसको उसका प्रदाय किया जाता है और उसका संग्रहण तथा वसूली वन विभाग के उस अधिकारी या पदाधिकारी द्वारा, जो ऐसे विकास या प्रदाय से संबंधित हो, उसी समय किया जाएगा जबकि ऐसा विकास या प्रदाय किया जाता है।

(१) के अधीन उद्गृहीत वन विच्छेद उपकरण के आगम प्रयत्नतः राज्य की संविधान विधि में जमा कर सरकार, प्रत्येक विदेशी वर्ष के आगम कर, विधि द्वारा सम्पूर्ण विनिर्माण कर दिया जाने के पश्चात्, विधि में से उतनी रकम प्रत्याहृत कर लगेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहि गए कर प्रयत्नतः के समतुल्य हो, और उक्त वन विच्छेद निधि नामक एक पुनर् निधि में जमा करेगी, और उक्त निधि का उपयोग मध्य प्रदेश राज्य की संविधान विधि कर करित कर होगी.

(३) उक्त निधि में जमा रकम का उपयोग, राज्य सरकार के विनियमानुसार, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करेगा—

(अ) सामाजिक वानिकी प्रयोजन;

(ब) कमरोपण, पुनर्वसरोपण तथा वनों का पुनरुद्धार; और

(ग) वनों के विकास से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करेगी;

(४) वन विकास निधि का संचारण और परिवर्तन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

भाग ४—खनिज क्षेत्र विकास उपकरण.

४. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएँ.

(क) "अनिवार्य भाटक" से अभिप्रेत है खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) के अधीन देय अनिवार्य भाटक;

(ख) "भूमि" से अभिप्रेत है खनिज संक्रियायें चलाने के लिए खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि;

(ग) "खनिज क्षेत्र विकास उपकरण" से अभिप्रेत है खनिज संक्रियायें चलाने के लिये खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि पर धारा २ के अधीन उद्गृहीत उपकरण;

(घ) "स्वामित्व (रायट्टी)" से अभिप्रेत है खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) के अधीन देय स्वामित्व (रायट्टी) और उसके अन्तर्गत उस भूमि में से खनिज निकालने के अधिकार के लिए उक्त अधिनियम के अधीन पञ्चाशक्ति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को किये गये या किये जाने के लिये संभाव्य कोई संशय आते हैं;

(ङ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस भाग में प्रयुक्त हुई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं तथा जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) में परिभाषित की गई हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं.

(१) खनिज संक्रियायें चलाने के लिये खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि पर खनिज क्षेत्र विकास उपकरण, उस भूमि के भाटक मूल्य के पञ्चीस प्रतिशत की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा.

खनन पट्टा के अधीन की भूमि पर खनिज क्षेत्र विकास उपकरण का उद्गृहण.

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए, भाटक मूल्य यथास्थिति स्वामित्व (रायट्टी) या अनिवार्य भाटक, इनमें से जो भी अधिक हो, के बराबर होगा.

(३) खनिज क्षेत्र विकास उपकरण उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसे खनन पट्टा प्रगुप्त किया जाता है. ✓

(४) खनिज क्षेत्र विकास उपकरण का संग्रहण ऐसे अधिकारों द्वारा तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया गया है, अधिनियमों के, जो कि इस निमित्त बनाये जायें, अध्याधीन रहते हुए तथा उनके अनुसार किया जायेगा और उसका उपयोग खनिज-धारित क्षेत्रों के विकास के लिये किया जायेगा.

भाग ५—प्रकीर्ण.

५. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावहील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, दूर कर सकेगी :

कठिनाई दूर करने की शक्ति.

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि का अवसाम हो अथवा पश्चात्, नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के प्रारंभ होने" से, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के संबंध में, अभिप्रेत है प्रारंभ होने की वह सुसंगत तारीख जो उस उपबन्ध के संबंध में धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन नियत की गई हो।

नियम बनाने की
शक्ति।

११. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बना सकती।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जावेंगे।

प्रोपास, दिनांक ६ मई १९८२

क. ११६९४-इन्कीस-म(भा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद १४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश सरकारान अधिनियम, १९८२ (कनौस १४ व १९८२) का प्रथम प्रतुभाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज. भ. खर, विशेष सचिव,

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 of 1982

THE MADHYA PRADESH KIRADHAN ADHONYAM, 1982

TABLE OF CONTENTS

Sections :

PART I—PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.

PART II—SCHOOL BUILDING CESS

2. Definitions.
3. Levy of School Building cess.
4. Constitution of primary school buildings construction fund.
5. Maintenance and operation of fund.

PART III—FOREST DEVELOPMENT CESS

6. Definitions.
7. Levy of forest development cess on sale or supply of forest produce.

PART IV—MINERAL AREAS DEVELOPMENT CESS

8. Definitions.
9. Levy of mineral areas development cess on land under mining lease.

PART V—MISCELLANEOUS

10. Power to remove difficulty.
11. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 of 1982

THE MADHYA PRADESH KARADHAN ADHINIYAM, 1982.

[Received the assent of Governor on the 3rd May, 1982; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary), dated the 6th May, 1982.]

An Act to provide for levy of school building cess, forest development cess and mineral areas development cess and matters incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows:—

PART I—PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

PART II—SCHOOL BUILDING CESS

Definitions.

2. In this part, unless the context otherwise requires,—

(a) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(b) "school building cess" means the school building cess levied under section;

(c) "holder of land" means a tenure holder, occupancy tenant or a Government lessee;

(d) "holding" means all land held by a holder in the State in any one or more than one of the capacities specified in clause (c);

(e) "member of a Schedule Caste" means a member of any caste, race or tribe or part of a group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(f) "member of Schedule Tribes" means a member of any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(g) words and expressions used in this part and not defined herein but defined in the Code shall have the meaning assigned to them in the Code.

Levy of school building cess.

3. (1) There shall be levied and collected for every revenue year school building cess on every holding of six hectares and above held by a holder at the rate of three rupees and seventy five paise per hectare:

Provided that the provision of this sub-section shall, in respect of a holding held by a member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall, have effect as if for the words "six hectares", the words "ten hectares" were substituted.

(2) The school building cess levied and collected under sub-section (1) shall be in addition to land revenue or rent or any other cess or tax payable by the holder of the land in respect of the holding under the Code or any other enactment for the time being in force and shall be payable by the holder of the land in the same manner as, and alongwith, land revenue.

(3) The provisions of the Code relating to assessment, collection and recovery of land revenue shall, so far as may be, apply to the assessment, collection and recovery of school building cess under this part as if the cess were land revenue assessed on the holding under the Code.

4. (1) The proceeds of the school building cess under section 3 shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may, at the commencement of each financial year, after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of the school building cess realised by the State Government in the preceding financial year and shall place it to the credit of a separate fund to be called the Primary School Buildings Construction Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh.

Constitution of Primary School Buildings construction fund.

(2) The State Government shall every year make its contribution to the fund equal to fifty per cent. of the amount credited to the fund under sub-section (1).

(3) The amount in the credit of the fund shall be utilised for construction and furnishing of Primary School building in non-urban areas as defined in clause (2-z) of section 2 of the Code and for that purpose only so much amount in the credit of the fund shall be allotted to a district as is recovered by way of school building cess from that district together with fifty per cent. of the contribution of the State Government for that district.

5. The maintenance and operation of the Primary School Buildings Construction Fund, including the investment or re-investment of sums in its credit, shall be in accordance with the rules made under this Part. Maintenance and operation of Fund.

PART III—FOREST DEVELOPMENT CESS

6. In this Part,—

Definitions.

(a) "forest development cess" means cess levied on sale or supply of forest produce by the Forest Department under section 7;

(b) "Forest Department" includes the Forest Development Corporation constituted under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956);

(c) the expression "forest produce" shall have the meaning assigned to that expression in clause (4) of section 2 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927);

7. (1) There shall be levied and collected a forest development cess on every sale or supply of forest produce by the Forest Department at the rate of one per cent. of the price at which such forest produce is sold or supplied. Levy of forest development on sale or supply of forest produce.

(2) The forest development cess levied under sub-section (1) shall be in addition to any tax leviable on forest produce under any other law for the time being in force.

(3) The forest development cess payable under sub-section (1) in respect of forest produce sold or supplied by the Forest Department shall be payable by the person to whom the forest produce is sold or supplied and shall be collected by and recovered by the officer or official of the Forest Department concerned with such sale or supply at the time of such sale or supply.

(4) The proceeds of the forest development cess levied under sub-section (1) shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may, at the commencement of each financial year after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of the forest development cess realised by the State Government in the preceeding financial year and shall place it to the credit of a separate fund to be called the Forest Development Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh.

(5) The amount in the credit of the fund shall, at the discretion of the State Government, be utilised for—

- (a) social forestry purposes;
- (b) afforestation, re-forestation and rehabilitation of forest; and
- (c) any other purposes connected with the development of forests, as the State Government may, by notification, specify.

(6) The maintenance and operation of the Forest Development Fund shall be in accordance with the rules made in this behalf.

PART IV—MINERAL AREAS DEVELOPMENT CESS

Definitions

8. In this part, unless the context otherwise requires,—

- (a) "dead rent" means the dead rent payable under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No. 67 of 1957);
- (b) "land" means land held under a mining lease for undertaking mining operations;
- (c) "mineral areas development cess" means cess levied under section 9 on land held under a mining lease for undertaking of mining operations;
- (d) "royalty" means the royalty payable under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No. 67 of 1957) and includes any payments made or likely to be made to the Central Government or the State Government as the case may be for the right of raising minerals from the land under the said Act;

(e) words and expressions used but not defined in this part and defined in the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No. 67 of 1957) shall have the same meanings as in that Act.

9. (2) There shall be levied and collected on the land held under a mining lease for undertaking mining operation a mineral areas development cess at the rate of twenty five per centum of the rental value thereof. Levy of mineral areas development cess on land under mining lease.

(2) For the purpose of sub-section (1) rental value shall be equal to the royalty or dead rent as the case may be, whichever is higher.

(3) The mineral areas development cess shall be payable by the person to whom the mining lease is granted.

(4) The mineral areas development cess shall, subject to and in accordance with the rules made in this behalf, be collected by such agencies and in such manner as may be prescribed and shall be applied towards development of mineral bearing areas.

PART V—MISCELLANEOUS

10. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty. Power to remove difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of one year from the date of commencement of this Act.

Explanation.—In this section the expression "commencement of this Act" means with relation to any provision of this Act, the relevant date of commencement, appointed under sub-section (3) of section 1, in relation to that provision.

11. (1) The State Government may, after previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the State Legislative Assembly.